मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

e-Gov-23

क्रमांक/ एफ-3-1/2015/41-2

भोपाल दिनांक.07/08/2015

प्रति,

1. संभागायुक्त
   समस्त, मध्य प्रदेश।
2. कलेक्टर
   समस्त, मध्य प्रदेश।

विषय:- प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में 5 से 17 वर्ष वर्ग के विद्यार्थियों के आधार पंजीयन कराने संबंधी दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3-1/2015/41-2 दिनांक 10.06.2015

1. पृष्ठभूमि : -

प्रदेश में लगभग 2.12 करोड़ लोग 5 से 17 वर्ष आयु वर्ग के हैं जिसमें से लगभग 1.32 करोड़ लोगों के आधार पंजीयन हो चुका है। आधार पंजीयन प्रगति रिपोर्ट 18 जुलाई 2015 तक की स्थिति में लगभग 60 प्रतिशत पंजीयन हो चुके है अर्थात 81 लाख लोगों के आधार पंजीयन होना शेष है। चूंकि इस आयु वर्ग के अधिकांश लोग स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के वर्ग में आते हैं। स्कूल चलें अभियान जैसा "आधार बनायें अभियान" के नाम से केंप अभियान आयोजन के रूप में चलाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

प्रदेश में आयु के आधार पर पंजीयन की स्थिति दिनांक 18/07/15 में निम्नानुसार हैं :-

आयु वर्ग	कुल जनसंख्या (लाखों में)	पंजीकृत (लाखों में)
शून्य से पाँच वर्ष	74.71	10.59
पाँच से 17 वर्ष	212.88	132.33
18 से अधिक वर्ष	438.66	401.99

2. आधार पंजीयन का लक्ष्य : -

5 से 17 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का आधार पंजीयन दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया हैं। इस 5 से 17 आयु वर्ग के लक्षित विद्यार्थियों के पंजीयन की अधतन स्थिति, पंजीयन किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, किट्स की उपलब्धता, उपलब्ध किट के आधार पर संभावित

पंजीयन की संख्या तथा प्रतिदिन का लक्ष्य परिशिष्ट (अ) के अनुसार निर्धारण कर जिलों को प्रदाय किया जा रहा है। तदानुसार जिलों में 5 से 17 आयु वर्ग के विशेष कैंप आयोजन किया जाकर शेष 40 प्रतिशत इस आयु वर्ग के लोगों को आधार पंजीयन माह दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जावेगा। यह लक्ष्य पाने हेतु प्रत्येक जिले में 5 से 17 आयु वर्ग के लोगों को प्रतिदिन लगभग 40 पंजीयन प्रति किट के आधार पर किया जाना होगा। तदानुसार रणनीति बनाया जाकर शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि लक्षित लोगों का पंजीयन दिसम्बर 2015 तक पूर्ण हो सके।

3. आधार पंजीयन की पूर्व तैयारियां : -

निम्न दर्शित पत्रक में पाठशाला के स्तर पर कॉलम 1 से 8 तक एवं 11 की जानकारी भरकर तैयार रखा जावे। कॉलम नंबर 9 एवं 10 को भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है : - जिनके पूर्व से UID नम्बर नहीं बनाये गये हों उनके UID के पंजीयन के बाद कॉलम नंबर 10 EID का क्रमांक भरा जावेगा। शैक्षणिक संस्थाओं में पंजीयन के पूर्व तैयारियां पत्रक क्रमांक 1 के अनुसार करें : -

पत्रक क्रमांक-1

*विद्यार्थी का नाम शै क्ष णि	पिता/ माता का नाम	कक्षा	शैक्षणिक संस्थाओं के नाम (*)	DISE CODE	गांव/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	विकास खण्ड का नाम	UID ($) क्रमांक	EID (#) क्रमांक	समग्र ID
* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) शैक्षणिक संस्थाओं अर्थात – स्कूल, कॉलेज, पोलिटेक्निक, आईटीआई, मदरसा, कौशल विकास केन्द्र इत्यादि जो शासकीय एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के अन्तर्गत जिले में संचालित है।

($) UID का नंबर अंकित करें। यदि पंजीयन किया है पर UID उपलब्ध नहीं है तो लिखे कि पंजीकृत पर नम्बर उपलब्ध नहीं हैं।

(#) EID इस कॉलम में जिन विद्यार्थियों के आधार पंजीयन हो गये हैं किन्तु उनको अभी तक UID नंबर जनरेट (निर्माण) नही हुआ हैं। जिनका पंजीयन नही हुआ है वह उनका EID नंबर केंप में जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

जिला स्तर पर आधार पंजीयन हेतु समस्त शैक्षणिक संस्थाओं की कार्य योजना उपरोक्त वर्णित पत्रक क्रमांक 1 के अनुसार तैयार करावें।

उपरोक्त पत्रक क्रमांक 1 के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर ENROLLMENT CAMP आयोजन हेतु योजना/रणनीति तैयार करें। विद्यार्थियों के पंजीयन की संख्या के आधार पर पंजीयन किट की संख्या निर्भर होगी। कैंप के आयोजन के समय कम से कम 35 विद्यार्थियों का पंजीयन प्रति किट प्रति दिन के आधार पर हो। इसके अनुसार एक स्थल/संस्था में जितने विधार्थियों के पंजीयन होना है उतने किट्स का निर्धारण कर कैंप में पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है। कैंप को शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित करना व्यवहारिक रूप मे उचित होगा।

जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक कैंप का नोडल अधिकारी नियुक्त करें, साथ ही पंजीयन किट्स की पर्याप्त व्यवस्था EAs (पंजीयन एजेंसी) द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर आधार पंजीयन समस्त शैक्षणिक संस्थाओं की कार्य योजना निम्न प्रपत्र क्रमांक 2 में तैयार करावें।

पत्रक क्रमांक-2

कैंप का दिनांक		ब्लाक/ जनपद कानाम	ग्राम/ग्राम पंचायत /नगरिय निकाया का नाम	DISE CODE	स्कूल	लक्षित विद्यार्थियों की संख्या	कैंप का नोडल अधिकारी	आवश्यक किटों की संख्या	पंजीयन एजेंसी के ऑपरेटर का नाम	ऑपरेटर का टेलीफोन नंबर
से	तक	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. आधार पंजीयन का क्रियान्वयन : -

जिला स्तरीय बैठक:-

जिला स्तरीय UID कमेटी की बैठक पृथक से शैक्षणिक संस्थायें - महाविधालय, आईटीआई, पालिटेक्निक, कौशल विकास संस्थाओं इत्यादि के प्राचार्य तथा प्रोफेसर, संबधित अधिकारियों के साथ कैंप की व्यवस्था एंव संचालन के संबध में विस्तृत चर्चा करें।

आधार पंजीयन हेतु विशेष कैंप आयोजित किया जावे। जिसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर पदस्थ स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास केन्द्र, SDO एवं Enrollment एजेंसियों के साथ बैठक आयोजित कर रणनीति के अनुसार कैंप आयोजन की कार्य योजना तैयार की जावे। जिला कलेक्टर कैंप आयोजन के पूर्व पत्रक क्रमांक 1, 2 एवं 3 के अनुसार जानकारी तैयार करवाया जाकर कैंप के माध्यम से शत-प्रतिशत आधार पंजीयन का कार्य पूर्ण कराया जावे।

उपरोक्त तैयारियों के पश्चात जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा कैंप आयोजन करने तथा कार्य योजना अनुसार 5 से 17 आयु वर्ग के शेष विद्यार्थियों के आधार पंजीयन का कार्य माह दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कराया जाना है।